

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी0के0एस0 भवन परिसर रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-2972977,

ई-मेल: cgdme.counseling@gmail.com

क्रमांक / 9789 / छात्र/संचिषि/22

रायपुर, दिनांक : 28 SEP 2022

प्रवेश सत्र 2022 छत्तीसगढ़ राज्य के दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (MDS) की राज्य कोटे में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन की सूचना

प्रवेश सत्र 2022 छत्तीसगढ़ राज्य के दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर सीटों (MDS) पर प्रवेश के लिये राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित NEET-MDS-2022 द्वारा घोषित पात्र अभ्यर्थियों (Cut off Score - As per National Board of Examinations [संलग्न देखें]) निम्न समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन आवेदन शुल्क सहित आमंत्रित है। (आवेदन के पूर्व लागू छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2017 का अवलोकन अवश्य करें) :-

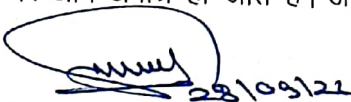
क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	ऑनलाईन आवेदन शुल्क	पूर्ववत राशि रु. 2,000/- (रु. दो हजार मात्र)
2	ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने पर संशोधन शुल्क (Edit Fee) का भुगतान कर, संशोधन (Edit) किया जा सकता है (आवेदन की अंतिम तिथि तक)।	पूर्ववत राशि रु. 2,000/- (रु. दो हजार मात्र)
3	ऑनलाईन आवेदन - प्रारंभ तिथि	दिनांक 28 सितम्बर 2022, समय (Server Time) 18:00 Hrs. (06:00 PM) से
4	ऑनलाईन आवेदन - अंतिम तिथि	दिनांक 04 अक्टूबर 2022, समय (Server Time) 17:00 Hrs. (05:00PM) तक

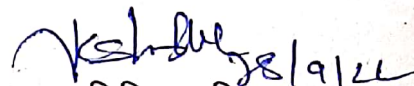
ऑनलाईन पंजीयन से संबंधित वांछित दस्तावेजों की जानकारी हेतु छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2017 के नियम 9 "काउंसिलिंग प्रक्रिया" का अवलोकन करें।

छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2017 संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेब-साइट www.cgdme.co.in पर उपलब्ध है। वेबसाइट का नियमित अवलोकन वांछनीय है।

नोट :-

- काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी हेतु नियमित वेबसाइट www.cgdme.co.in का अवलोकन करें।
- ऑनलाईन शुल्क भुगतान हेतु नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड, (Net Banking, Debit card, Credit card, options are available, उपलब्ध है।
- संलग्न NEET Cut off Order देखें वेबसाइट www.cgdme.co.in ।
- ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदक अपने फार्म में संशोधन शुल्क (Edit Fee) रु. 2000/- ऑनलाईन जमा कर, संशोधन (Edit) कर सकेंगे।
- ऑन-लाईन आवेदन के साथ ही संस्था का चयन भी करें, क्योंकि संस्था चयन (Choice) हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- आवेदन में Edit Option का लाभ लेने पर भी आपके द्वारा दिये गये ई-मेल एवं मोबाईल नं. अपरिवर्तनीय होगा।
- आवेदन शुल्क का भुगतान अंतिम तिथि से कम से कम 36 घण्टे पूर्व कर दें, चूंकि बैंक गेटवे इत्यादि संबंधित जटिलताओं से कई बार ऑनलाईन किये गये भुगतान का क्लीयरेंस (clearance) 24 घण्टे ले लेता है। ताकि आपको अतिरिक्त शुल्क न देना पड़े।
- ऑनलाईन आवेदन में कोई भी त्रुटि (जैसे :- अपूर्ण आवेदन/पंजीयन फीस का गेटवे (Bank Gateway) से जमा न होना इत्यादि) होने पर आप अपात्र हो जाते हैं। अतः ऑनलाईन पंजीयन की समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करें।


अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.


संचालक चिकित्सा शिक्षा,
छत्तीसगढ़



आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS IN MEDICAL
SCIENCES, NEW DELHI

दिनांक: 27 मई, 2022

सूचना

विषय : नीट-एमडीएस 2022 का परिणाम।

1. नीट-एमडीएस 2022 का परिणाम उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त स्कोर और उनकी नीट-एमडीएस 2022 रैंक को दर्शाता है और इसे एनबीईएमएस वेबसाइट <https://nbe.edu.in> / <https://natboard.edu.in> पर देखा जा सकता है।

नीट-एमडीएस 2022 का परिणाम देखने के लिए यहां क्लिक करें

2. **नीट-एमडीएस 2022 रैंक** : यह उन सभी उम्मीदवारों में से नीट-एमडीएस 2022 में उपस्थित उम्मीदवार की समग्र योग्यता स्थिति है।
3. नीट-एमडीएस 2022 के लिए सूचना बुलेटिन में उल्लेखित एमडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता/यात्रता मानदंड के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के कट ऑफ स्कोर निम्नानुसार हैं:

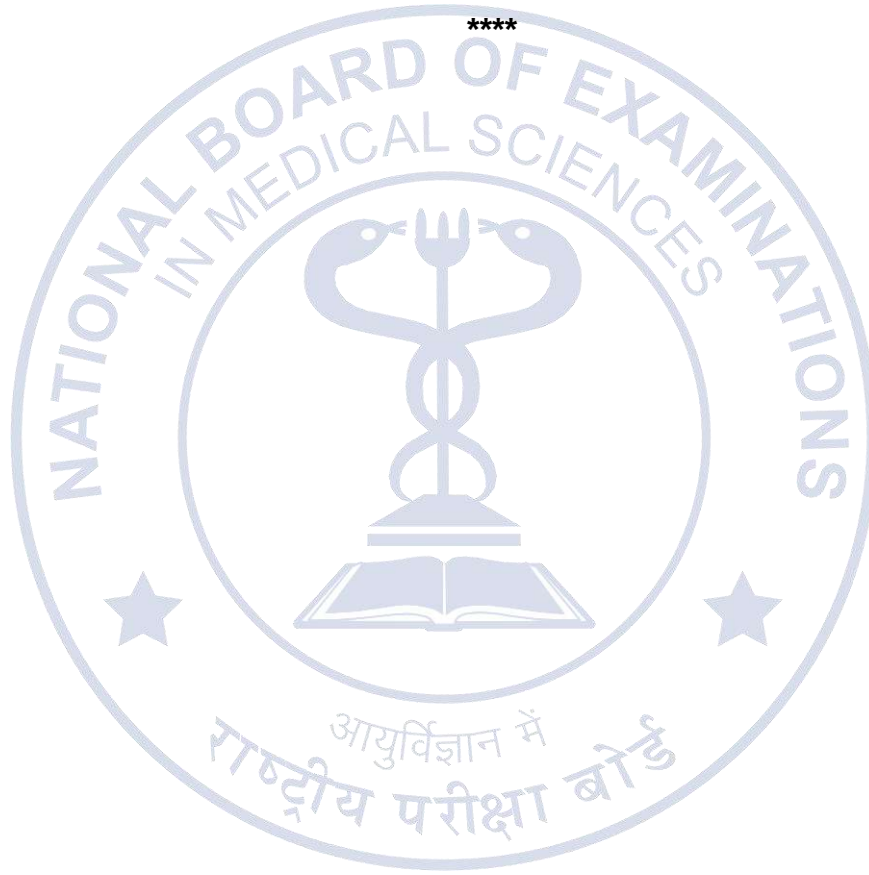
Category	Minimum Qualifying/Eligibility Criteria	Cut off score (Out of 960)
UR/EWS	50 th percentile	263
SC/ST/OBC (Including PWD of SC/ST/OBC)	40 th percentile	227
UR PWD	45 th percentile	245

4. नीट-एमडीएस 2022 में प्रत्येक प्रश्न की समीक्षा नीट-एमडीएस 2022 के आयोजन के बाद संबंधित विशेषता के संकाय सदस्यों द्वारा प्रश्नों के साथ-साथ उत्तर कुंजी की तकनीकी शुद्धता की पुनः जांच करने के लिए की गई थी। संकाय सदस्यों के इनपुट के अनुसार, नीट-एमडीएस 2022 के प्रश्न पत्र में तकनीकी रूप से 1 प्रश्न गलत पाया गया था। इस प्रश्न के लिए परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों को पूर्ण अंक दिए गए हैं, भले ही इस प्रश्न का उत्तर उम्मीदवारों द्वारा दिया गया हो या प्रयास ही नहीं किया गया हो।
5. अखिल भारतीय 50% कोटा सीटों के लिए योग्यता स्थिति अलग से घोषित की जाएगी। राज्य कोटे की सीटों के लिए अंतिम योग्यता सूची/श्रेणीवार योग्यता सूची राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी योग्यता/यात्रता मानदंड, लागू दिशानिर्देशों/विनियमों और आरक्षण नीति के अनुसार तैयार की जाएगी।

6. नीट-एमडीएस 2022 में उपस्थित उम्मीदवारों के व्यक्तिश स्कोर कार्ड 2 जून, 2022 को उसके बाद एनबीईएमएस की वेबसाइट <https://nbe.edu.in> , से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
7. उम्मीदवारी विशुद्ध रूप से सूचना बुलेटिन नीट-एमडीएस 2022 में उल्लेखित पात्रता मानदंडों की पूर्ति के विषय-वस्तु के अधीन हैं।



एनबीईएमएस





आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
NATIONAL BOARD OF EXAMINATIONS IN MEDICAL
SCIENCES, NEW DELHI

Dated: 27th May, 2022

PUBLIC NOTICE

Subject: Result of NEET-MDS 2022.

1. The result of NEET-MDS 2022 indicating the scores obtained by the candidates and their NEET-MDS 2022 Rank has been declared and can be seen at NBEMS websites <https://nbe.edu.in> / <https://natboard.edu.in>.

[Click here to view the result of NEET-MDS 2022](#)

2. **NEET-MDS 2022 Rank:** This is the overall merit position of the candidate amongst all the candidates who have appeared in the NEET-MDS 2022.
3. In accordance with the minimum qualifying/eligibility criteria for admission to MDS course as mentioned in the information Bulletin for NEET-MDS 2022, the cut off scores for various categories are as follows:

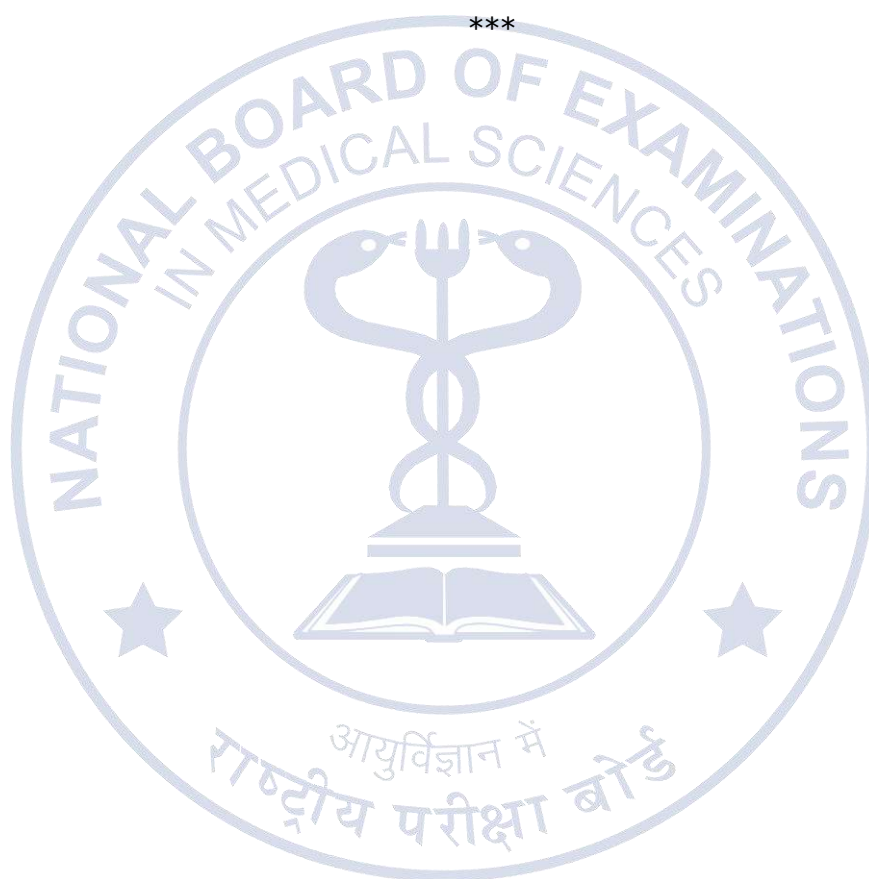
Category	Minimum Qualifying/Eligibility Criteria	Cut off score (Out of 960)
UR/EWS	50 th percentile	263
SC/ST/OBC (including PWD of SC/ST/OBC)	40 th percentile	227
UR-PWD	45 th percentile	245

4. Each and every question in NEET-MDS 2022 was reviewed by the faculty members from the concerned specialty after the conduct of NEET-MDS 2022 to re-check for technical correctness of the questions as well as answer keys. As per inputs from the faculty members, 1 question was found to be technically incorrect in the question paper of NEET-MDS 2022. Full marks have been awarded to all the candidates who appeared in the exam for this question, irrespective of the fact whether this question has been answered or not attempted by the candidates.
5. The merit position for All India 50% quota seats shall be declared separately. The final merit list/category wise merit list for State quota seats shall be generated by the States/UT as per their qualifying/eligibility criteria, applicable guidelines/Regulations & reservation policy.

6. Individual score card of the candidates who appeared NEET-MDS 2022 can be downloaded from the website <https://nbe.edu.in> on/after 2nd June, 2022.
7. Candidature is purely provisional subject to fulfillment of eligibility criteria as mentioned in NEET-MDS 2022 Information Bulletin.



NBEMS



छत्तीसगढ़ राज्य के (MDS) सीटों का विवरण

प्रवेश वर्ष 2022 हेतु दंत चिकित्सा
स्नातकोत्तर (एम.डी.एस.) सीटों का महाविद्यालय
से प्राप्त जानकारी ।

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक /

4433/जीडीसी/छात्र/ 2022

रायपुर दिनांक 30/06/22

प्रति,

संचालक चिकित्सा शिक्षा
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय:-

शैक्षणिक सत्र 2021 में दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम०डी०एस०) महाविद्यालय सम्बद्धता मान्यता, शिक्षण शुल्क एवं सीटों की जानकारी बाबत।

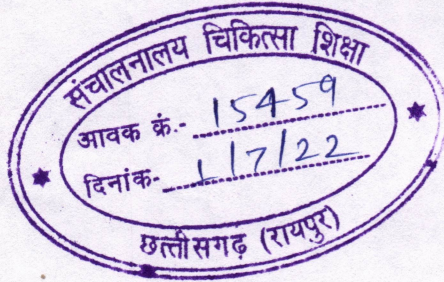
संदर्भ:-

आपका पत्र क्रमांक /6671/छात्र/संचिशि/22 रायपुर, दिनांक /27 June 2022.

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2022 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम०डी०एस०) में महाविद्यालय की सम्बद्धता, मान्यता, शिक्षण शुल्क एवं सीटों की जानकारी चाही गई प्रारूप में संलग्न है।

[Signature]
30/6/22
प्राचार्य

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर



[Handwritten notes in red and blue ink]
S.S.
1/8/22
ome
counseling

// प्रपत्र //

सत्र 2021 की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम०डी०एस०) काउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु संस्था की जानकारी
संस्था का नाम : - शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर छ.ग.

प्रवेश सत्र 2022

क	एम.डी.एस. विषय	कुल सीट संख्या	State Quota	AIQ
1	Oral Medicine & Radiology	02	01	01
2	Prosthodontics	03	02	01
3	Periodontia	03	02	01
4	Oral & Maxillofacial Surgery	03	01	02
5	Conservative Dentistry	03	02	01
6	Orthodontics	03	01	02
7	Oral Pathology & Microbiology	03	01	02
Total Seat		20	10	10

आयुष विश्वविद्यालय की सम्बद्धता - (छायाप्रति संलग्न)

शिक्षण शुल्क - 22,000/- (शब्दों में बाईस हजार रुपये)

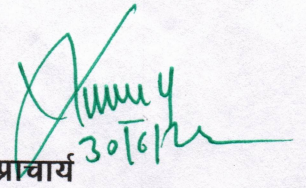
शुल्क भुगतान का माध्यम- डिमांड ड्राफ्ट

कॉशन मनी -one time caution money of Rs 50,000

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेशित को प्रतिमाह स्टॉयपेण्ड रु .

प्रथम वर्ष	53,550/-
द्वितीय वर्ष	56,750/-
तृतीय वर्ष	59,220/-

संलग्न : - भारत शासन से प्राप्त अनुमति पत्र ।


30/6/22

प्राचार्य

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय ,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

Ref. No.: RCDSR/DO/2022/4157

Date: 29.06.2022

To,
The Director,
Medical Education
Raipur (C.G.)

Sub:- Furnishing details regarding MDS course for the academic year 2022-23.

Ref.: Your letter No./6672/student/DME/22, dated 27.06.2022

Sir,

With reference to your above referred letter, we are hereby furnishing the details related to recognition, affiliation, tuition fees and hostel fees for MDS course during the academic year 2022-23 at Rungta College of Dental Sciences and Research, Bhilai.

Total MDS Seats:

Sl. No.	Subject	Total seats	State Quota	Management Quota
1	Prosthodontics and Crown & Bridge	05	02	03
2	Conservative Dentistry & Endodontics	05	02	03
3	Orthodontics and Dentofacial Orthopedics	05	02	03
4	Periodontology	05	02	03
5	Pedodontics	05	02	03
6	Oral and Maxillofacial Surgery	03	01	02
7	Oral Medicine & Radiology	03	01	02
8	Oral Pathology	03	01	02
9	Public Health Dentistry	03	01	02
	Total	37	14	23

Tuition Fees , Hostel & Mess charges

Subject	Tuition Fees	Hostel & Mess
Prosthodontics, Conservative, Orthodontics, Periodontics, Pedodontics, Oral Surgery	Rs. 5,09,068.00 PA	Rs. 1,25,000.00 AC Rs. 75,000.00 Non AC
Oral Medicine and Radiology	Rs. 3,00,000.00 PA	Rs. 1,25,000.00 AC Rs. 75,000.00 Non AC
Oral Pathology, Public Health Dentistry	Rs. 2,00,000.00 PA	Rs. 1,25,000.00 AC Rs. 75,000.00 Non AC

Fees will be accepted vide Demand Draft, in favour of Rungta College of Dental Sciences and Research, payable at Bhilai or through NEFT/RTGS in favour of Rungta College of Dental Sciences and Research, A/c No. 018601004874, IFSC code ICIC0000186, Bank ICICI, Nehru Nagar Bhilai.

This is for your kind information and needful in the matter.

Thanking you,

Yours Sincerely

[Signature]
Dean



(Reg. No. 3383)

MAITRI COLLEGE OF DENTISTRY & RESEARCH CENTRE

AN ISO 9001 - 2000 CERTIFIED INSTITUTE

G.E. ROAD, ANJORA, DURG (C.G.) 491001 E-mail : mcdrcmcn@gmail.com



CERTIFICATE No. 40353

क्रमांक / एमसीडीआरसी / 2022 / 65

दिनांक - 30-06-2022

प्रति,

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
छत्तीसगढ़

विषय: शैक्षणिक सत्र 2022 में चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एमडीएस) की महाविद्यालय सम्बद्धता, मान्यता, शिक्षण शुल्क एवं सीटों की जानकारी बाबत।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक / 6672 / छात्र / संचिशि / 22 रायपुर, दिनांक 27.06.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के तहत शैक्षणिक सत्र 2022 में दंतचिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एमडीएस) में प्रवेश प्रक्रियांतर्गत जानकारी चाही गई है जो कि निम्न बिन्दुओं के माध्यम से प्रस्तुत है:-

1. भारतीय दंतपरिषद (डीसीआई), नई दिल्ली की मान्यता- मान्यता पत्र संलग्न।
2. पं० दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रदाय विषयवार सम्बद्धता: स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एमडीएस) सत्र 2022-23, हेतु समस्त विषयों की मान्यता प्रमाण पत्र संलग्न है।
3. सीटों की विषयवार जानकारी:

क्रमांक	विषय	कुल सीट संख्या	स्टेट कोटा	मैनेजमेंट कोटा
1	Oral Medicine & Radiology	03	1	02
2	Oral Pathology & Microbiology	03	1	02
3	Orthodontics & Dentofacial Orthopedics	03	1	02
4	Prosthodontics, Crown & Bridge	03	1	02
5	Conservative Dentistry & Endodontics	03	1	02
6	Periodontics	03	1	02
7	Pedodontics & Preventive Dentistry	05	2	03

4. महाविद्यालय के संबंधित पाठ्यक्रम की शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (हॉस्टल एवं अन्य) की सम्पूर्ण जानकारी: सत्र 2020-21 से सत्र 2022-23 तक के लिए शिक्षक शुल्क राशि ₹ 4,98,068/- निर्धारित है (जिसमें से विषय ओरल पैथॉलाजी एवं ओरल मेडिसिन विषयों हेतु प्रतिवर्ष केवल ₹ 3,00,000/- लिया जाएगा) महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष हॉस्टल एवं मेस शुल्क राशि ₹ 75,000/- निर्धारित किया गया है। साथ ही कॉशनमनी की राशि जो भी निर्धारित किया गया है, तदनुसार लिया जाएगा।

5. उक्त शुल्क किस माध्यम से लिया जाएगा: उक्त शुल्क डी0डी0 / बैंक ड्रॉफ्ट / नगद / ऑनलाईन इंटरनेट बैंकिंग / चेक के माध्यम से लिया जाएगा।

S-S.

gme

Directorate Medical Education.

Raipur (C.G.)

RECEIPT

05.11.2022

No.....15685

Signature

अधिष्ठाता
DEAN

Maitri College of Dentistry
Research Centre
Anjora, Durg 491 601



New Horizon Dental College & Research Institute

SAKRI, BILASPUR, CHHATTISGARH - 495 001
Website : www.nhdcricri.in, E-mail: nhdcricri@gmail.com

No. NHDC & RI/2022/ 14534

Date: 28-06-2022

प्रति,

संचालक चिकित्सा शिक्षा (DME),
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा,
पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी.के.एस. भवन परिसर,
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2022 में दंत चिकित्सा स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.डी.एस.) की महाविद्यालय सम्बद्धता, मान्यता, शिक्षण शुल्क एवं सीटों की जानकारी बाबत।

संदर्भ: आपका क्रमांक /6672/ छात्र/ संचिशि/22, दिनांक 27-06-2022

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि सत्र 2022-23 में दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.डी.एस.) में प्रवेश हेतु महाविद्यालय से संबंधित आपके द्वारा चाही गई जानकारी प्रेषित प्रपत्र में भरकर उचित कार्यार्थ हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

1. भारतीय दंत परिषद (डी.सी.आई.) नई दिल्ली से और Ministry of Health & Family Welfare, Govt of India, New Delhi की मान्यता प्राप्त है।
2. पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रदाय सम्बद्धता।
3. सीटों की जानकारी:-

क्र	विषय	कुल सीट संख्या	स्टेट कोटा	मैनेजमेंट कोटा
01	Oral Medicine & Radiology	03	01	02
02	Oral and Maxillofacial Surgery	02	01	01
03	Periodontology	03	01	02
04	Pedodontics & Preventive Dentistry	03	01	02
05	Orthodontics and Dentofacial Orthopedics	03	01	02
06	Conservative Dentistry & Endodontics	03	01	02
07	Prosthodontics and Crown & Bridge	03	01	02
	Total Number of MDS Seats available	20	07	13

कार्यालय संचालनालय
चिकित्सा शिक्षा, रायपुर (छ.ग.)

01 JUL 2022

आवक क्रमांक 15489

आवक शीर्षक

S-S.

MS

causality

-1-

9ME

THE BARFANI ACADEMIA

Opposite Rajiv Gandhi Smriti Vatika, Mungeli Road, BILASPUR (C.G.)

Phone : 07752 - 283822, Fax : 07752 - 283293



Triveni Institute of Dental Sciences, Hospital & Research Centre

Monoged by : Singhai Lakhmi Chand Memorial Trust



Vidya Sthali, Village-Bodri, Bilaspur (C.G.) Phone : 07752-217381 Fax: 07752-471003 E-mail: trivenidental@gmail.com Website: www.trivenidental.com

क्र./त्रि.दं.वि.महा. चि.एवं अनु. केन्द्र/प्रा./2022/ 431

दिनांक :-28.06.2022

सेवा में,

श्रीमान संचालक महोदय,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा,
पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी.के.एस. भवन परिसर, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2022 में दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.डी.एस.) की महाविद्यालय सम्बद्धता, मान्यता, शिक्षण शुल्क एवं सीटों की जानकारी बाबत।

संदर्भ :- संचालनालय का पत्र क्रमांक/6672/छात्र/संचिशि/22 रायपुर, दिनांक 27/06/2022।

आदरणीय महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें, और इस महाविद्यालय का प्रतिउत्तर निम्नानुसार है :-

1. भारतीय दंत परिषद् (डी.सी.आई.) नई दिल्ली की मान्यता - हमें सभी सात विषयों में भारतीय दंत परिषद् (डी.सी.आई.) नई दिल्ली की मान्यता प्राप्त है। (विवरण संलग्न है।)
2. पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्व विद्यालय द्वारा प्रदाय सम्बद्धता - विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2022-23 तक के लिए सम्बद्धता प्राप्त है। (प्रतिलिपी संलग्न है)
3. सीटों की जानकारी -

क्रमांक	विषय	स्टेट कोटा	मैनजमेंट कोटा	कुल सीट संख्या
1	Oral Medicine & Radiology	1	1	2
2	Periodontology	1	1	2
3	Prosthodontics & Crown & Bridge	1	1	2
4	Orthodontics & Dentofacial Orthopedics	1	2	3
5	Conservative Dentistry & Endodontics	1	2	3
6	Pedodontics and Preventive Dentistry	1	2	3
7	Oral Pathology & Microbiology	1	2	3
Total seat				18

8-5.
16/7
OME

Directorate Medical Education
Raipur (C.G.)
RECEIPT
06 JUL 2022
No.....15921
Signature



CHHATTISGARH DENTAL COLLEGE & RESEARCH INSTITUTE

Run by - Youth Foundation of India

Recognized by Dental Council of India, New Delhi (No.V.12017/21/2001-DE(pt)) and

Affiliated to Pt. Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences and Ayush University of Chhattisgarh, Raipur

CDCRI/JUL/04/01

Date : 04th JULY 2022

BY Email/SPEED POST

प्रति,

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी.के.एस. भवन परिसर,
रायपुर - 492 001 (छ.ग.)

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2022 में दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.डी.एस.) की महाविद्यालयीन सम्बद्धता, मान्यता, शिक्षण शुल्क एवं सीटों की जानकारी का प्रेषण ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/6672/छात्र/संचिशि/22 रायपुर, दिनांक 27.06.2022.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत निवेदन है कि हमारे महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु आपके अधीनस्थ विभाग द्वारा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.डी.एस.) की काउंसिलिंग हेतु चाही गई जानकारी निम्नानुसार इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित कर रहे हैं :-

1. संलग्न परिशिष्ट क्रमांक 01 (P.No. 01-05) - महाविद्यालय को दंत चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा जारी 07 विभागों की 20 सीटों की मान्यता प्रमाण पत्र की जानकारी ।
2. संलग्न परिशिष्ट क्रमांक 02 (P.No. 06-13) - संबद्ध पं० दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा वर्तमान शिक्षण सत्र 2022-23 हेतु जारी संबद्धता प्रमाण पत्र की जानकारी ।

सीटों की जानकारी :-

क्र०	MDS विषय	कुल सीट संख्या	स्टेट कोटा (सामान्य वर्ग)	मैनेजमेंट कोटा (सामान्य वर्ग)	टिप्पणी (मैनेजमेंट कोटा के लिए)
1	Conservative Dentistry & Endodontics	03	01	02	01 सीट वरीयता कम में जैन अभ्यर्थी हेतु सुरक्षित
2	Oral Medicine & Radiology	03	01	02	-
3	Periodontics	03	01	02	-
4	Orthodontics	03	01	02	01 सीट वरीयता कम में जैन अभ्यर्थी हेतु सुरक्षित
5	Prosthodontics and Crown & Bridge	03	01	02	01 सीट वरीयता कम में जैन अभ्यर्थी हेतु सुरक्षित
6	Paedodontics and Preventive Dentistry	03	01	02	-
7	Oral & Maxillofacial Surgery	02	01	01	-
	TOTAL	20	07	13	

Directorate Medical Education,
Raipur (C.G.)
RECEIPT
06 JUL 2022
No. 15883
Signature

For, Chhattisgarh Dental College & Research Institute
(RUN BY YOUTH FOUNDATION OF INDIA)

कमरा: ..2.. पर

PRESIDENT

SUNDRA, N.H.-6, RAJNANDGAON (C.G.) 491 441

Ph. No.(07744) 281931, FAX: 07744-281930, E-Mail: cdcricrj@gmail.com, Website: www.cdcricrj.org

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 147]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 अप्रैल 2017— वैशाख 2, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-06/2017/नौ/55-4. — राज्य शासन एतद्वारा राज्य के शासकीय एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की समस्त स्नातकोत्तर सीटों एवं अनुदान प्राप्त तथा गैर अनुदान प्राप्त निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की समस्त सीटों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-

- (एक) ये नियम छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2017 कहलायेंगे।
- (दो) ये नियम तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
- (तीन) राज्य के दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की राज्य कोटे एवं प्रबंधन नियतांश की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की समस्त सीटों पर प्रवेश, इन नियमों के आधार पर दिया जाएगा।

2. परिभाषाएँ- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,-

- (क) “एजेंसी” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन/केन्द्र सरकार द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु अधिकृत एजेंसी;
- (ख) “वास्तविक निवासी” से अभिप्रेत है ऐसा आवेदक (अभ्यर्थी) जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र/अधिसूचना/आदेशों के अंतर्गत परिभाषित अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो (परिशिष्ट - एक);
- (ग) “श्रेणी” से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित श्रेणी;
- (घ) “संवर्ग” से अभिप्रेत है महिला या निःशक्तजन संवर्ग;
- (ङ) “महाविद्यालय” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय या निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय;
- (च) “परिषद” से अभिप्रेत है भारतीय दंत चिकित्सा परिषद;
- (छ) “पाठ्यक्रम” से अभिप्रेत है स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम;
- (ज) “संचालक” से अभिप्रेत है संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;
- (झ) “संचालनालय” से अभिप्रेत है संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;
- (ञ) “प्रवेश परीक्षा” से अभिप्रेत है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातकोत्तर) (NEET-MDS);
- (ट) “अंतिम प्रवेश प्रक्रिया” से अभिप्रेत है अंतिम चरण की काउंसिलिंग उपरांत रिक्त रह गई सीटों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व की तिथि में आबंटन स्थल पर ही अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु की गई प्रक्रिया;
- (ठ) “सेवारत अभ्यर्थी” से अभिप्रेत है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन “सी.आर.एम.सी.” क्षेत्रों में उन चिकित्सा अधिकारियों के लिए आरक्षित होगी, जिन्होंने दूर-दराज के और/या दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम 03 वर्ष तक सेवा की है. सेवारत कर्मचारी (नियमित/तदर्थ/संविदा आधार पर) जिन्होंने वर्तमान प्रवेश सत्र के 28 फरवरी को शासकीय सेवा में 3 वर्ष पूर्ण कर ली हो;

- (ड) "अल्पसंख्यक महाविद्यालय" से अभिप्रेत है महाविद्यालय या संस्थान, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) के अंतर्गत धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक घोषित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित हो तथा जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हो;
- (ढ) "बिना संवर्ग" से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी जो नियम 2 के खण्ड (घ) में परिभाषित किसी भी संवर्ग के अंतर्गत नहीं आते हों ;
- (ण) "निःशक्तजन" से अभिप्रेत है ऐसा निःशक्तजन जैसा कि "निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का सं. 1) की धारा 2 के उपखंड (न) के अधीन परिभाषित हो तथा जो भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हो (निःशक्ता हेतु प्रमाणीकरण - परिशिष्ट -दो) ;
- (त) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
- (थ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ ।
- (द) "सी.आर.एम.सी." का अभिप्राय है राज्य शासन द्वारा यथा अधिसूचित, वर्तमान में यथा लागू छत्तीसगढ़ ग्रामीण चिकित्सा कोर योजना ।

3. सामान्य -

- (एक) स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम, भारतीय दंत परिषद / विश्वविद्यालय / राज्य शासन / भारत सरकार / महाविद्यालय की यथास्थिति, प्रवेश परीक्षा आबंटन तथा प्रवेश के दौरान समय-समय पर यथा संशोधित प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों में किये गए संशोधन द्वारा शासित तथा विनियमित होंगी।
- (दो) महाविद्यालय में प्रवेश के दिनांक से डिग्री हेतु तीन वर्ष की कालावधि के लिए पूर्णकालिक होंगे। अभ्यर्थी को सम्पूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रेक्टिस, अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा अमान्य होगी।
- (तीन) सभी पात्र अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा केवल पात्र पंजीकृत अभ्यर्थी को ही सीट आबंटित की जायेगी। अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि ऑनलाईन पंजीयन के दौरान वांछित सभी जानकारी सत्य प्रस्तुत करे। ऑन लाईन पंजीयन के पूर्व अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमों को पूर्ण रूप से पढ़ लें एवं समझ लें और अपेक्षित की गई संपूर्ण तथा सही जानकारी भरे, जिसके अभाव में प्रार्थी को आबंटित सीट पर प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (चार) अभ्यर्थी द्वारा NEET-MDS को प्रेषित किये गये ऑनलाईन पंजीयन अर्थात् आवेदन पत्र के साथ जो फोटो संलग्न किये हैं वहीं फोटो की ही प्रतियाँ सम्पूर्ण काउंसिलिंग एवं आबंटन पश्चात संस्था में प्रवेश हेतु आवश्यक होगी।
- (पांच) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन काउंसिलिंग के दौरान अपलोड किया गया हस्ताक्षर के नमूने से आबंटन उपरान्त आबंटित संस्था में प्रवेश के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किये गये हस्ताक्षर का समान होना आवश्यक है। हस्ताक्षरों में भिन्नता पाई जाने पर अभ्यर्थी सीट आबंटन/प्रवेश का हकदार नहीं होगा। परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षा उपरान्त उपलब्ध कराये गये अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक विवरण का भी प्रवेश उपरान्त मिलान किया जाना संस्था में प्रवेश के लिए आवश्यक होगा।

- (छः) सभी पी0जी0प्रवेशित छात्रों को छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ दंत परिषद में पंजीयन कराना आवश्यक होगा। प्रवेश उपरान्त एक माह की समय सीमा अंतर्गत छत्तीसगढ़ दंत परिषद में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा वांछित शुल्क जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (सात) छात्रों को शैक्षणिक सत्र की कालावधि में प्रतिवर्ष 19 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं संस्था प्रमुख की अनुमति से कॉन्फ्रेंस/वर्कशॉप हेतु अधिकतम 10 दिवस प्रति शैक्षणिक वर्ष के विशेष अवकाश की पात्रता होगी।

टीप :- 1. अवकाश नियम सेवारत अभ्यर्थियों के लिये भी लागू होंगे।
2. अवकाश की निर्धारित सीमा (15 दिवस) से अधिक दिनों की अनुपस्थिति की स्थिति में, अनुपस्थित दिवस अवैतनिक अवकाश के खाते में विकलनीय होंगे, जिसकी अधिकतम सीमा 15 दिवस प्रति शैक्षणिक सत्र होगा।

- (नौ) सेवारत अभ्यर्थियों के पाठ्यक्रम पूर्ण करने उपरान्त विभाग में वापसी - पीजी डिग्री पाठ्यक्रम के लिए सामान्य अवधि 36 माह है। पाठ्यक्रम / अध्ययन अवधि पूर्ण करने वाले शासकीय सेवारत अभ्यर्थी को परीक्षा में उनकी प्रास्थिति पर विचार किए बिना पैतृक विभाग में वापस जाना होगा, भले ही वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हो अथवा नहीं। किसी भी परिस्थिति में अध्ययन जारी रखने का कार्यकाल बढ़ाया नहीं जाएगा। प्रसूति अवकाश की अवधि के बराबर की अवधि का प्रशिक्षण अतिरिक्त रूप से प्राप्त करना अनिवार्य होगा किन्तु इस अवधि के लिये कोई स्टायेपेण्ड अथवा वेतन आदि देय नहीं होगा।

4. पात्रता- केवल उसी अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु पात्रता होगी जो -

- (क) (एक) - जिस अभ्यर्थी ने छत्तीसगढ़ में स्थित मान्यता प्राप्त* दंत चिकित्सा महाविद्यालय से बीडीएस डिग्री प्राप्त की हो। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन सेवारत चिकित्सक जिन्होंने प्रवेश वर्ष के 28 फरवरी में तीन वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण कर ली हो, उनके लिए उपरोक्त नियम लागू नहीं होंगे।

(*डेंटिस्ट अधिनियम 1948 (1948 के 16) अनुसूची में सम्मिलित)

(दो) - प्रबंधन नियतांश कोटे की सीटों में प्रवेश हेतु राज्य/देश के बाहर के चिकित्सा महाविद्यालयों के अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे, जिन्होंने लिखित परीक्षा परिणाम में 50 पर्सेंटाईल अंक एवं शारीरिक रूप से निःशक्त संवर्ग के लिये 45 पर्सेंटाईल अंक प्राप्त किये हों। राज्य के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए लिखित परीक्षा में 40 पर्सेंटाईल अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- (ख) जिसने परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त दंत स्नातक चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् परीक्षा वर्ष की 31 मार्च को या उसके पूर्व इंटर्नशिप पूर्ण कर लिया हो;

- (ग) जिसने एजेंसी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के घोषित परिणाम में, अनारक्षित श्रेणी के लिये न्यूनतम 50 पर्सेंटाईल अंक, आरक्षित श्रेणी के लिये न्यूनतम 40 पर्सेंटाईल अंक तथा अनारक्षित श्रेणी के शारीरिक रूप से निःशक्त संवर्ग के लिये 45 पर्सेंटाईल अंक प्राप्त किये हों अथवा उक्त शैक्षणिक सत्र हेतु भारतीय दंत आयुर्विज्ञान परिषद् एवं केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित श्रेणी हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंक अर्जित किये हो।

- (घ) किसी भी अभ्यर्थी (सेवारत सहित) जिसने पूर्व में अखिल भारतीय / राज्य कोटे/ प्रबंधन नियतांश से प्रवेश उपरान्त सीट का परित्याग किया हो अथवा संस्था उक्त अभ्यर्थी का निष्कासन किया गया हो। तो उसे सीट परित्याग / निष्कासन तिथि से यथा स्थिति डिग्री हेतु आगामी तीन वर्ष के लिये राज्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ङ) वे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है, उन्हें उनके द्वारा पूर्ण किये गये पाठ्यक्रम के पश्चात् पाठ्यक्रम पूर्ण करने की दिनांक से क्रमशः आगामी तीन वर्ष तक राज्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (च) ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन अखिल भारतीय कोटे से राज्य के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में हुआ हो तथा राज्य कोटे हेतु आयोजित काउंसिलिंग द्वारा भी उसे सीट आबंटित होने की स्थिति में उसे केवल एक ही सीट पर प्रवेश लेने की पात्रता होगी। राज्य कोटे से प्रवेश लेने की स्थिति में अखिल भारतीय कोटे की सीट का परित्याग करना होगा।

5. अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान - अल्पसंख्यक संस्थान, अपनी संस्थान में प्रवेश हेतु अतिरिक्त अन्य अर्हतायें भी निर्धारित कर सकेंगे किंतु उन्हें इस अतिरिक्त अर्हता के मापदण्ड के संबंध में, परीक्षा वर्ष के 28 फरवरी के पूर्व संचालक, चिकित्सा शिक्षा को लिखित में सूचना देनी होगी जिससे कि उन्हें प्रवेश विवरणिका में सम्मिलित किया जा सके।

6. सीटों का आरक्षण.-

- (एक) प्रत्येक संस्थान के राज्य कोटे में अनुसूचित जनजाति के लिये 32%, अनुसूचित जाति के लिये 12% तथा अन्य पिछड़े वर्ग (गैरक्रीमीलेयर) के लिये 14% आरक्षण रहेगा।
- (दो) उपरोक्त आरक्षण छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम/नियम 2013 में निहित प्रावधानों के अनुरूप रहेगा।
- (तीन) महिला संवर्ग हेतु 30% तथा निःशक्तजन संवर्ग हेतु 3% क्षैतिज आरक्षण होगा।
- (क) सबसे पहले सीटों को 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक के बीच निचले अंगों की स्थायी लोकोमोटर अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में, इस प्रकार नहीं भरे गये सीटों को 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की निचले अंगों की स्थायी लोकोमोटर अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जायेगा ;
- (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) के प्रतिमानकों के अनुसार निम्नलिखित अशक्ततायें/प्रमाणपत्र वाले अभ्यर्थी, पात्र नहीं होंगे, अर्थात:-

- (एक) ऊपरी अंग निःशक्तजन ;
- (दो) दृष्टिबाधित निःशक्तजन ;
- (तीन) बहिरीय निःशक्तजन ;
- (चार) निचले अंग की 70 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता ;
- (पांच) पात्रता प्रमाण पत्र जो काउंसिलिंग के समय 03 माह से अधिक पुराना न हो;

(चार) उपरोक्त उप-नियम (1) में उल्लेखित आरक्षण के अनुसार सीटों का विषयवार आबंटन लॉटरी पद्धति द्वारा किया जायेगा जिसकी सूचना संचालनालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

7. चयन प्रक्रिया :-

(क) प्रवेश परीक्षा :-

- (एक) स्नातकोत्तर एमडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन नई दिल्ली द्वारा घोषित वर्तमान शैक्षणिक सत्र हेतु परीक्षा (NEET-MDS) के परिणाम पर आधारित प्रावीण्य सूची मान्य की जावेगी।
- (दो) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किये हुए दस्तावेज एवं अपलोडेड जानकारी ही प्रभावी होंगे;
- (तीन) ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट की हुई पात्रता संबंधी जानकारी जैसे – राज्य जिससे स्नातक डिग्री प्राप्त की, मूल निवासी, जाति एवं संवर्ग (महिला, निःशक्तजन) में चयन उपरांत कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

(ख) परीक्षा परिणाम :-

- (एक) जिस अभ्यर्थी ने छत्तीसगढ़ में स्थित मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा महाविद्यालय से बीडीएस डिग्री प्राप्त की हो, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन सेवारत चिकित्सक जिन्होंने प्रवेश वर्ष के 28 फरवरी में तीन वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण कर ली हो उनके लिए उपरोक्त नियम लागू नहीं होंगे।
- (दो) सेवारत अभ्यर्थी को भी प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के नियमों में विहित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने होंगे। सफल सेवारत अभ्यर्थियों की पृथक प्राविण्य सूची नियम 7 अनुरूप निर्धारित बोनस अंको को जोड़कर संचालनालय द्वारा तैयार की जायेगी।
- (तीन) समस्त पात्र सेवारत अभ्यर्थी (चिकित्सा अधिकारी) अपने आवेदन परीक्षा परिणाम सहित संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ को प्रस्तुत करेंगे। संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ चिकित्सा अधिकारियों की एकजाई बोनस अंक सूची तैयार करेंगे। बोनस अंको की गणना के आधार पर अतिरिक्त अंक जोड़कर उन्हें योग्यता सूची में शामिल कर अंतिम योग्यता सूची, संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा तैयार की जायेगी।
- (चार) सेवारत अभ्यर्थियों की पारस्परिक योग्यता (इण्टर - से - मेरिट) ग्रामीण / अधिसूचित/उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित क्षेत्रों में उनकी की गई सेवा के लिए बोनस के अंक जोड़कर निश्चित की जायेगी। ग्रामीण /अधिसूचित/उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित क्षेत्रों में सेवारत अभ्यर्थी को अधिकतम NEET-MDS परीक्षा के प्राप्तांक का 30 प्रतिशत अंक प्राप्त होगा। दो या उससे अधिक सेवारत अभ्यर्थियों को बराबर अंक मिलने की दशा में अभ्यर्थी की आयु में वरीयता को अधिमान देते हुए प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी।
- (पांच) बोनस अंकों की गणना हेतु अधिसूचित / चिन्हित सेवा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र अथवा अभ्यर्थी द्वारा सेवा के दौरान अनाधिकृत अनुपस्थिति / अवैतनिक अवकाश मान्य नहीं की जायेगी।

(छः) समस्त उपलब्ध सीटों पर, प्रावीण्य सूची के अनुसार तथा नियम 9 में यथा उल्लिखित काउंसिलिंग प्रक्रिया द्वारा, अभ्यर्थियों को महाविद्यालयवार एवं संकायवार पाठ्यक्रम का आबंटन किया जायेगा।

8. बोनस अंक (सेवांक) की गणना.- मेरिट का निर्धारण करने में दूर-दराज के और / या दुर्गम क्षेत्रों में की गई सेवा के लिये प्रोत्साहन के रूप में सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक पर प्रत्येक वर्ष के लिए 10 प्रतिशत की दर से भारांश, जो कि अधिकतम 30 प्रतिशत तक दिया जा सकता है। दूर-दराज के और दुर्गम क्षेत्र वे होंगे, जो समय-समय पर राज्य सरकार/समक्ष प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किए गए हों :-

- (एक) बोनस अंक केवल वर्तमान में सी.आर.एम.सी. क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन NEET-MDS प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण सेवारत चिकित्सक, जिन्होंने 02 वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण कर ली हो, को प्रदान किये जायेंगे।
- (दो) बोनस अंकों की गणना हेतु अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश वर्ष के 28 फरवरी की स्थिति में किये गये पूर्ण सेवा वर्षों को सम्मिलित किया जाना।
- (तीन) बोनस अंको की गणना हेतु वास्तविक कार्य स्थल (Actual Place of Posting) मान्य किये जायेंगे, न की संलग्न कार्य स्थल (Attachment)।
- (चार) यदि अभ्यर्थी द्वारा 01 वर्ष में एक से अधिक श्रेणी के क्षेत्रों में कार्य किया गया हो तो बोनस की गणना हेतु अपेक्षाकृत सुगम श्रेणी वाले क्षेत्र में किये गये सेवाओं को गणना के लिए आधार बनाया जायेगा।
- (पांच) बोनस अंक NEET-MDS में प्राप्त अंको के प्रतिशत के अनुपात में प्रदान किये जायेंगे।
- (छः) बोनस अंको की गणना के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जारी अद्यतन सी.आर.एम.सी. सूची में अंकित चिकित्सालयों में पदस्थापना को आधार बनाया जायेगा। जिसकी गणना निम्नानुसार की जायेगी:-
 - सुगम (Normal) क्षेत्रों में किये गये कार्य हेतु शून्य प्रतिशत प्रतिवर्ष।
 - कठिन क्षेत्रों में किये गये कार्य हेतु प्रासांक के 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष।
 - दुर्गम एवं अपहंचनीय क्षेत्रों में किये गये कार्य हेतु प्रासांक के 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

(सात) अपूर्ण सेवा वर्ष के लिये कोई भी बोनस अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे ;

(आठ) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अधीन की गई सेवा के लिए संचालक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र, बोनस अंक का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। अन्य प्रकरणों में संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र।

(नौ) सेवा का प्रमाण पत्र, प्रवेश परीक्षा की अंक सूची आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा बोनस अंक प्रदान की जायेगी। (परिशिष्ट – तीन)

9. काउंसिलिंग प्रक्रिया- काउंसिलिंग प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय/ भारतीय दंत परिषद द्वारा निर्धारित सारिणी अनुसार किया जाएगा। काउंसिलिंग प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

(एक) राज्य कोटे एवं प्रबंधन नियतांश की उपलब्ध सीटों की विषयवार विस्तृत जानकारी संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट में प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी सीटों के चयन में राज्य कोटे तथा प्रबंधन नियतांश कोटे में उपलब्ध विषयों का समावेश विषय चयन में कर सकेंगे।

(दो) इन सीटों में प्रवेश के लिये, प्रावीण्य सूची के आधार पर संचालनालय द्वारा निम्नलिखित रीति में ऑनलाइन काउंसिलिंग की जायेगी :-

- (क) उपरोक्त उल्लेखित अनुसार प्रावीण्य सूची घोषित होने के बाद, संचालनालय द्वारा दो चरणों में काउंसिलिंग की जायेगी, जिसकी समय सारणी संचालनालय की वेबसाइट पर प्रकाशित (घोषित) की जायेगी, समस्त चरणों की काउंसिलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जायेगी;
- (ख) ऑनलाइन काउंसिलिंग में पंजीयन, प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, आबंटन, मूल दस्तावेजों की संवीक्षा व आबंटित सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया सम्मिलित होगी। प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र भरने के अंतिम तिथि या पूर्व के जारी किये गये प्रमाण पत्र ही संवीक्षा में मान्य किये जायेंगे ;
- (ग) ऑन लाइन पंजीयन की प्रक्रिया मात्र प्रथम काउंसिलिंग के समय उपलब्ध होगी। काउंसिलिंग में भाग लेने के इच्छुक सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसिलिंग के समय ही पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ;
- (घ) वेबसाइट पर जारी काउंसिलिंग की समय सारणी के अनुरूप, अभ्यर्थी को विकल्प भरकर देना होगा। अभ्यर्थी उपलब्ध समस्त महाविद्यालयों एवं पाठ्यक्रमों का विकल्प प्राथमिकता अनुसार देने हेतु समर्थ होंगे ;
- (ङ) एक बार प्राथमिकता निर्धारण पश्चात् उनके प्राथमिकता क्रम में, परिवर्तन नहीं किया जायेगा, परंतु घोषित सीटों के अतिरिक्त अन्य नई विषय की सीटें, जो पूर्व में प्रदर्शित नहीं हुई हो, के लिये प्राथमिकता क्रम में उक्त सीट का विकल्प सम्मिलित करने का प्रावधानित होगा;
- (च) प्राथमिकता क्रम में विकल्प भरने की अंतिम तिथि तक जिन अभ्यर्थियों ने विकल्प नहीं भरा है, वे काउंसिलिंग हेतु स्वमेव अपात्र हो जायेंगे ;
- (छ) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन काउंसिलिंग शुल्क रु. 2000/- का भुगतान ऑनलाईन पोर्टल पर करना होगा तथा आबंटन होने के पूर्व अभ्यर्थियों को संचालनालय द्वारा निर्धारित तिथियों में उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों की संवीक्षा कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को दस्तावेजों की संवीक्षा हेतु उपलब्ध सीटों से तीन गुना अभ्यर्थियों को संचालक द्वारा संवीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। उक्त संख्या में संचालक द्वारा आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी। संवीक्षा में अर्ह होने पर ही अभ्यर्थी को आबंटन दिया जायेगा। निर्धारित तिथि/समय में किए जाने वाले प्रवेश हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं :-
- (एक) 10+2 की अंकसूची (दसवीं व बारहवीं)
- (दो) स्नातकोत्तर पूर्व प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र
- (तीन) एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. (प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम) की मूल अंकसूची
- (चार) इंटर्नशिप पूर्ण होने (कंप्लीशन) का प्रमाण पत्र
- (पांच) छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणी हेतु)
- (छः) बी.डी.एस. की स्नातक अस्थाई/स्थायी उपाधि
- (सात) राज्य मेडिकल काउंसिल का अस्थाई/स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र
- (आठ) छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी **स्थायी जाति प्रमाण पत्र**, जाति सत्यापन प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के माह के भीतर सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- (नौ) राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी **स्थायी निःशक्तता प्रमाण पत्र**
- (दस) निर्धारित प्रारूप में शासकीय सेवा प्रमाण पत्र

- (ज) संवीक्षा में अर्ह होने पर प्रावीण्य सूची के अनुसार संकाय एवं महाविद्यालय का आबंटन किया जायेगा जो संचालनालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा तथा आबंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश लेना आवश्यक होगा तत्पश्चात् ही आगामी चरणों की काउंसिलिंग में बने रहेंगे तथा प्रावीण्यता अनुसार अपग्रेड प्राप्त करने हेतु योग्य रहेंगे;
- (झ) सभी अभ्यर्थी किसी भी समय काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर जाने का विकल्प दे सकते हैं किन्तु वे पुनः काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे ;
- (ञ) वे अभ्यर्थी जिन्हें आबंटन प्राप्त होता है उन्हें वेबसाइट से आबंटन पत्र का प्रिंट आउट लेकर जारी समय सारणी अनुरूप आबंटित महाविद्यालय में अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी; संस्था में प्रवेश नहीं लिये जाने पर वे आगामी चरण हेतु अपात्र हो जायेंगे तथापि उन्हें अंतिम आबंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश उपरान्त सीट का परित्याग किया है, वे सम्पूर्ण काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अपना प्राथमिकता क्रम का निर्धारण किया था किन्तु उन्हें विषय आबंटित नहीं हुए, वे सभी अगले चरण के लिए पात्र होंगे। वे अभ्यर्थी जो आबंटित सीट पर प्रवेश हेतु महाविद्यालय में स्वयं उपस्थित नहीं हुए तो यह माना जावेगा कि वे उक्त सीट पर प्रवेश की इच्छुक नहीं हैं।
- (ट) (एक) अभ्यर्थी के प्रस्तुत होने के पश्चात महाविद्यालय के द्वारा, चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा ;
- (दो) चिकित्सकीय परीक्षण में अर्ह होने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा;
- (तीन) यदि वे उल्लेखित उपरोक्त प्रक्रिया में विफल हो जाते हैं तो वे चालू शैक्षणिक सत्र के लिये, प्रवेश प्रक्रिया से अपात्र घोषित कर दिये जायेंगे;
- (चार) समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य होगा, आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा;
- (पांच) अंतिम तिथि (माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार) के पूर्व सीट परित्याग करने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई शुल्क में से 20 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी और शेष राशि अभ्यर्थी को वापसी योग्य होगी ;
- (छः) अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश के समय सभी मूल दस्तावेजों को जमा करना होगा।
- (ठ) सीट आबंटन उपरांत प्रवेशित अभ्यर्थी, तथा पूर्व में जिन्हें आबंटन प्राप्त नहीं हो सका है किन्तु ऑनलाईन पंजीयन में पंजीकृत है उन्हें प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का द्वितीय चरण में आबंटन किया जायेगा। नए अभ्यर्थियों का पंजीयन इस प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
- (ड) द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में सर्वप्रथम राज्य कोटे की सीटों का आबंटन किया जाएगा उक्त सीटों पर प्रवेश की निर्धारित तिथि के पश्चात उन रिक्त सीटों को प्रबंधन नियतांश में नियम 10 (पांच) अनुरूप परिवर्तित कर प्रबंधन नियतांश की सीटों का आबंटन किया जाएगा। किसी भी कारण से अंतिम चरण की काउंसिलिंग उपरांत रिक्त रह गई सीटों को "अंतिम प्रवेश प्रक्रिया" से भरा जायेगा, सीटों को पूर्व में बिना आबंटन प्राप्त पंजीकृत अप्रवेशित पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। इसके पश्चात भी यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उन सीटों हेतु नवीन पंजीयन स्वीकार किए जाएंगे तथा पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता के अनुक्रम में ये रिक्त सीटें आबंटित की जाएंगी।

10. आरक्षित श्रेणी की शेष रह गई सीटों का अन्य आरक्षित /अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन (अंतरण) .-

- (एक) किसी भी आरक्षित श्रेणी की शेष रह गई सीटों के लिये उस श्रेणी के अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, उन सीटों को छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्रं.9 सन् 2012) के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा।
- (दो) यदि आरक्षित श्रेणी में किसी संवर्ग विशेष के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो, रिक्त सीटों को उपरोक्तानुसार उसी संवर्ग की अन्य श्रेणियों में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- (तीन) किसी संवर्ग में, उस संवर्ग के, पात्र अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में मूल श्रेणी के "बिना संवर्ग" में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- (चार) संवर्ग / श्रेणी परिवर्तन की प्रक्रिया में संवर्ग परिवर्तन पहले होगा फिर श्रेणी परिवर्तन होगा।

11. पाठ्यक्रम के मध्य में सीट का परित्याग करने पर क्षतिपूर्ति .- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरांत पाठ्यक्रम से त्यागपत्र देने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना सीट पाठ्यक्रम के मध्य में परित्याग करने या परिषद द्वारा निर्धारित अनाधिकृत अवधि तक अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि जिसमें सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की शुल्क राशि तथा प्रदाय किये गये स्टाइपण्ड की राशि सम्मिलित होगी (अद्यतन स्थिति में गणना की गई), संस्था को देय होगी। (बंधपत्र का प्रारूप परिशिष्ट-पांच)।**12. प्रवेश रद्द करना.-** यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने किसी महाविद्यालय में मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत कर या गलत जानकारी देकर प्रवेश लिया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी को किसी गलती (चूक) से प्रवेश मिल गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश, संस्थान प्रमुख द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश प्रक्रिया में उद्भूत किसी भी विवाद या शंका की स्थिति में, संचालक, चिकित्सा शिक्षा का निर्णय, सभी पर बंधनकारी होगा।

दुराचरण, अनुशासनहीनता तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्र, अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें अधिष्ठाता/प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन रद्द किया जाना सम्मिलित है अनाधिकृत रूप से एवं बगैर सूचना के निरंतर 45 दिन अनुपस्थित रहने पर प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। इस अनुपस्थिति अवधि का किसी भी प्रकार के मान्य अवकाश में समायोजन नहीं होगा एवं ऐसे डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेशित निष्कासित अभ्यर्थी, उनके निष्कासन की तिथि से क्रमशः आगामी तीन वर्ष के लिये राज्य की स्नातकोत्तर सीट पर प्रवेश के लिये अपात्र होंगे। प्रवेश रद्द होने की स्थिति में नियम 11 में विहित प्रावधान लागू होंगे। तत्पश्चात ही अभ्यर्थी को उसके मूल दस्तावेज वापिस किये जावेंगे।

13. कठिनाइयों का निराकरण.- यदि इन नियमों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती हो तो राज्य शासन आदेश द्वारा, जो नियमों के प्रावधानों से असंगत न हो, कठिनाईयां दूर कर सकेगी।**14. प्रावीण्य सूची की समाप्ति.-** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रवेश वर्ष की 31 मई या उस शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी अन्य तिथि को प्रावीण्यता सूची समाप्त हो जायेगी एवं रिक्त सीटें व्यपगत हो जायेगी।

15. **निरसन एवं व्यावृत्ति.-** छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2015 एतद्वारा, निरसित किये जाते हैं।

परन्तु यह की इस प्रकार निरसित उक्त नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

परिशिष्ट- एक

छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हेतु प्रारूप

क्रमांक

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/सुश्री.....आत्मज/आत्मजा/पत्नी.....

.....निवासी.....तहसील.....

..... जिला छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी है, क्योंकि : वह

निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त की पूर्ति करता है :

1. वह (व्यक्ति) छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है।

2. (क) वह (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई –

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है।

3. उसके पालकों में से कोई भी –

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत है,

4. (क) वह स्वयं (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।

उपरोक्त शर्त के पूर्ति होने के बाद, व्यक्ति, नीचे दिये गये कम से कम एक शर्त की पूर्ति भी करेगा :

5. उसने छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित है, में कम से कम 3 वर्ष तक अपनी शिक्षा प्राप्त की है।

6. उसने छत्तीसगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों, अर्थात:-

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा।

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडिएट हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा।

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा।

7. अन्य सभी मामलों के लिये उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी होंगे:

(क) छत्तीसगढ़ राज्य में नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ख) छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों / कर्मचारियों की पत्नी / पति अथवा संतान।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य में संवैधानिक या अन्य विधिक पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

ऐसे बाबत जो उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार वास्तविक निवासी हैं, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी, छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी माने जायेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

परिशिष्टि - दो

प्रारूप

राज्य मेडिकल बोर्ड प्रमाण-पत्र

छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़
फोन नं.-0771-2234451, फैक्स नं. 0771-2222212
E-mail-cgdme@rediffmail.com

क्रमांक/

/संचिषि/

रायपुर, दिनांक

प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साईज का
फोटोग्राफ

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री, पिता- श्री,
उम्र-.....वर्ष (सत्यापित फोटोग्राफ) के आवेदन दिनांक.....के साथ संलग्न जिला/संभागीय
मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र क्रमांक....., दिनांक.....के परीक्षण एवं आवेदक के पूर्ण
परीक्षण उपरांत उनकी स्थायी शारीरिक निःशक्ततापाई गई । उनकी कुल निःशक्तता
.....प्रतिशत है ।

पहचान का निशान-

(अध्यक्ष)
राज्य मेडिकल बोर्ड

(सदस्य)
राज्य मेडिकल बोर्ड

(सदस्य)
राज्य मेडिकल बोर्ड

परिशिष्ट- तीन

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाण-पत्र का प्ररूप"ख"

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सेवा प्रमाण -पत्र

अद्यतन पासपोर्ट
साइज का
संचालक द्वारा
अभिप्रमाणित
रंगीन फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ -----पिता/पति-----ने दिनांक-----
-----से दिनांक-----की अवधि में कुल -----वर्ष----- माह तक चिकित्सक के रूप में इस संचालनालय
के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न क्षेत्रों में निर्बाध सेवा प्रदान की है।

- (क) -----विकासखंड-----जिला (छत्तीसगढ़-ग्रामीण-मेडिकल-कोर क्षेत्र)-----वर्ष-----माह
(ख) -----विकासखंड-----जिला (छत्तीसगढ़-ग्रामीण-मेडिकल-कोर क्षेत्र)-----वर्ष-----माह
(ग) -----विकासखंड-----जिला (छत्तीसगढ़-ग्रामीण-मेडिकल-कोर क्षेत्र)-----वर्ष-----माह
(घ) -----विकासखंड-----जिला (छत्तीसगढ़-ग्रामीण-मेडिकल-कोर क्षेत्र)-----वर्ष-----माह

उपरोक्तानुसार सेवा के लिये अभ्यर्थी को कुल ____ अंको के (शब्दों में) _____ सेवांक की
पात्रता है।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें